

पत्रांक-3ए-3-भत्ता-01/2017-9992/वि०

## बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

राहुल सिंह,

सचिव(व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक : 22/12/2017

**विषय :-** राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) की सुविधा के संबंध में स्पष्टीकरण

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(G) द्वारा राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 4 वर्षों के प्रति ब्लॉक में पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य किया गया है। साथ ही, L.T.C के अन्तर्गत वेतन स्तर आधारित अनुमान्य श्रेणी की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त संकल्प में यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व के संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित होंगे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि पूरे देश की सीमा के अंदर घोषित गंतव्य स्थान एवं निकतम दूरी से भिन्न अलग-अलग स्थानों के साथ यात्रा की जा रही है अर्थात् पटना से गोवा की यात्रा दिल्ली, मुम्बई या बैंगलूरु से होकर की जाती है। यह L.T.C के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के विपरीत एवं L.T.C सुविधा का दुरुपयोग है।

3. अतएव, उक्त संकल्प की उक्त कंडिका 3(G)(i) में अंकित पूरे देश की सीमा के अन्दर के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का संशय एवं वित्तीय अनियमितता न हो।

4. बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रेवल कन्सेशन निमयावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार राज्य या देश के अन्दर चुने गये स्थान पर केवल निकटतम मार्ग से ही आने और जाने का यात्रा भत्ता अनुमान्य है। उपर्युक्त प्रावधान आज की तिथि में

यथास्थिति प्रभावी है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई सरकारी सेवक अपने नियंत्री पदाधिकारी को L.T.C. हेतु चुना गया स्थान चेन्नई घोषित करता है, परन्तु दिल्ली/मुंबई होते हुये चेन्नई की यात्रा करता है तब ऐसी स्थिति में पटना से चेन्नई के लिए निकटतम मार्ग का यात्रा भत्ता ही अनुमान्य होगा। नियंत्री पदाधिकारी L.T.C. हेतु सरकारी कर्मों द्वारा घोषित/चयनित एक ही गंतव्य स्थान के आधार पर L.T.C. के प्रयोजनार्थ स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे, न कि एक से अधिक स्थानों के लिए।

**विश्वासभाजन**

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017- **9992**/वि०,

पटना, दिनांक-22/12/2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017- **9992**/वि०,

पटना, दिनांक-22/12/2017

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017- **9992**/वि०,

पटना, दिनांक-22/12/2017

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा-26 / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।